



# Uttar Pradesh Industrial Establishments (National And Festival Holidays ) Act, 1961



(2316)

U. P. INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL HOLIDAYS)  
ACT, 1961<sup>1</sup>

**(U. P. ACT No. XVIII OF 1961)**

[ Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 13, 1961 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 1, 1961.

Received the assent of the Governor on August 7, 1961 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 8, 1961. ]

**AN**

**ACT**

*to provide for the grant of national holidays to persons employed in industrial establishment in Uttar Pradesh.*

It is hereby enacted in the Twelfth Year of the Republic of India as follows : —

<b>Short title, extent and commencement</b>	<p><b>1.</b> (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Establishments (National Holidays) Act, 1961.</p> <p>(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force on such date <sup>2</sup> as the State Government may, by notification in the <i>Gazette</i>, appoint in this behalf.</p>
<b>Definitions</b>	<p><b>2.</b> In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context —</p> <p>(a) “apprentice” means a person employed in an industrial establishment for purpose of training therein whether on hire, wages or otherwise ;</p> <p>(b) “day” means a period of twenty-four hours beginning at midnight ;</p> <p>(c) “employee” means any person (including an apprentice) employed in any industrial establishment to do any skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward whether the terms of employment be express or implied, but does not include any such person : —</p> <p>(i) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity ; or</p> <p>(ii) whose duties are primarily of a travelling nature ;</p> <p>(d) “employer” when used in relation to an industrial establishment means a person, by whatever name he may be called,</p>

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated February 14, 1961.

2. Enforced w. e. f. August 11, 1961 vide Not. No. 1564 (1) (LL)/XXXVI—(B)—266 (LL)/57, dt. August 11, 1961.

(2317)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी)  
अधिनियम, 1961<sup>1</sup>

[ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1961 ]

[ उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 मार्च, 1961 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अगस्त, 1961 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 7 अगस्त, 1961 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में दिनांक 8 अगस्त, 1961 ई० को प्रकाशित हुआ। ]

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक अधिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय छुट्टियां देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : —

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) अधिनियम, 1961 कहलायेगा।

संक्षिप्त धीर्षनाम,  
प्रसार और प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक<sup>2</sup> से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके तदर्थ निश्चित करे।

2— विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(क) “शिक्षु” का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान में प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसमें नियोजित व्यक्ति से है चाहे वह भाड़े पर हो या मजदूरी पर या अन्य रूप से ;

(ख) “दिन” का तात्पर्य अर्द्ध-रात्रि से प्रारम्भ होने वाले चौबीस घंटों की अवधि से है ;

(ग) “कर्मचारी” का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान में दक्ष, अदक्ष, शारीरिक, पर्यवेक्षी, प्राविधिक या लिपिक, कार्य करने के लिये भाड़े या पारितोषिक पर नियोजित किसी व्यक्ति से है (जिसके अन्तर्गत शिक्षु भी है), चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या उपलक्षित, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति नहीं आते —

(1) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासकीय पद पर नियोजित हों ; या

(2) जिनका कार्य मुख्यतः भ्रमणात्मक हों ;

(घ) औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में प्रयुक्त “नियोजक” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिसका औद्योगिक अधिष्ठान के कार्यों पर

1— उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 14 फरवरी, 1961 का उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट देखिए।

2— विज्ञप्ति सं० 1564 (1) (एलएल) 136—(बी)—266 (एलएल) 1957, दिनांक 11 अगस्त 1961 द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1961 से प्रभावी किया गया।

(2318)

who has the immediate control over the affairs of the industrial establishment and shall include —

(i) where an industrial establishment is owned, operated or managed by a department of the State Government, the authority specified in that behalf, and where no such authority is specified, the head of such department ; and

(ii) where an industrial establishment is owned, operated or managed by or on behalf of a local authority, the chief executive authority of such establishment ;

(e) “State Government” means the Government of Uttar Pradesh;

(f) “industrial establishment” means —

(i) a factory as defined in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948, or any place which is deemed to be a factory under sub-section (2) of section 85 of that Act ; and

(ii) such other class of establishments as the State Government may, by notification in the Gazette, declare to be an industrial establishment for the purposes of this Act ;

(g) “Inspector” means a person appointed as an Inspector under sub-section (1) of section 4 ;

(h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(i) “national holiday” means the twenty-sixth days of January the fifteenth day of August and the second day of October every year ;

(j) “wages” means all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment, or of work done in such employment, and includes ;

(i) such allowances, including dearness allowance, as the employee is, for the time being, entitled to ;

(ii) the value of any house accommodation or of supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any concessional supply of food grains or other articles ; and

(iii) any travelling concession ; but does not include —

(a) any bonus ;

(b) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the employee under any law for the time being in force ;

(c) any gratuity payable on the termination of his service.

**Grant  
national  
holidays** of

**3.** Every employee shall be entitled to and be granted holiday with wages on every national holiday ; anything contained in any other law, contract, document, usage or practice to the contrary notwithstanding ;

(2319)

सीधा नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी होंगे —

(1) जब कोई औद्योगिक अधिष्ठान, राज्य सरकार के किसी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा संचालित हो या उसके प्रबंध में हो, तो तदर्थ उल्लिखित प्राधिकारी और जब कोई ऐसा प्राधिकारी उल्लिखित न हो तो उस विभाग का अध्यक्ष ; और

(2) जब औद्योगिक अधिष्ठान, किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से संचालित हो या उसके प्रबंध में हो तो ऐसे अधिष्ठान का मुख्य कार्य-पालक प्राधिकारी ;

(ड) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

(च) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य —

(1) फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (एम) में यथापरिभाषित फैक्टरी या किसी ऐसे स्थान से है, जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन "फैक्टरी" समझा जाय ; और

(2) अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करें ;

(छ) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(झ) "राष्ट्रीय छुट्टी" का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी, 15 अगस्त तथा 2 अक्टूबर से है ;

(ञ) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है, जो यदि नियोजन की शर्तें चाहे वे अभिव्यक्त हों या उपलक्षित, पूरी की जायं, तो कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के लिये देय हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है ;

(1) ऐसे भत्ते, जिनके अन्तर्गत महंगाई भत्ता भी है, जिन्हें पाने का कर्मचारी तत्समय अधिकारी हों ;

(2) किसी विनास-गृह की सुविधा का, अथवा बिजली पाने के सम्भरण, अथवा चिकित्सकीय उपचार या अन्य सुविधा का, अथवा किसी सेवा का, अथवा खाद्यान्नों या अन्य पदार्थों के रियायती दरों पर सम्भरण का मूल्य ;

(3) कोई यात्रा संबंधी रियायत ; किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है —

(क) कोई बोनस ;

(ख) तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन कर्मचारी के लाभार्थ अथवा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि (प्राविडेन्ट फण्ड) में नियोजक द्वारा दत्त या देय अंशदान ;

(ग) सेवा की समाप्ति पर देय कोई उपदान ।

3— किसी अन्य विधि, सविदे, लेख्य, प्रथा या व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक कर्मचारी को राष्ट्रीय छुट्टी के दिन की मजदूरी सहित छुट्टी पाने का अधिकार होगा और वह छुट्टी उसे दी जायगी ;

राष्ट्रीय छुट्टियों  
का दिया जाना

(2320)

Provided that where an employee is, for any exigencies of business of the industrial establishment, required to work, and works on a national holiday, he shall be paid by the employer, twice the wages for a day, or at the option of the employee, wages for that day, and also a substituted holiday with wages falling within the next calendar month, not being a weekly holiday.

*Explanation* — Where an employee is paid wages by the day, or at piece rates, his wages for a day payable to him under this section, shall be the daily average of his wages, to be calculated in the manner prescribed.

**Appointment of Inspectors**                    **4.** (1) The State Government may, by notification in the Gazette, appoint any person or class of persons, as it may deem fit, to be Inspectors for the purposes of this Act.

**Act XLV of 1860**                                    (2) Every Inspector appointed under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

**Powers of Inspectors**                    **5.** Subject to any rules made by the State Government in this behalf, an Inspector may, by himself, or with such assistants as he deems necessary —

(a) enter and inspect at all reasonable times, any place, which is, or which he has reason to believe to be, an industrial establishment;

(b) examine any register, record and notices of the industrial establishment and take evidence of such persons, as he may deem necessary, for carrying out the purposes of this Act ; and

(c) exercise such other powers, as may be necessary, for carrying out the purposes of this Act.

**Penalties**                                        **6.** Any person contravening any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall on conviction by a court of competent jurisdiction, be punishable with fine which, for the first offence, may extend to five hundred rupees, and for every subsequent offence, to one thousand rupees.

**Exemptions**                                    **7.** (1) Nothing contained in this Act shall apply to any industrial establishment under the control of the Central Government, Reserve Bank of India, Railway Administration, operating any railway as defined in clause (20) of Article 366 of the Constitution of India, or a cantonment authority.

(2) The State Government may, if for special reasons if so thinks fit, by notification in the Gazette, direct that, subject to such conditions and for such periods as it may specify, the provisions of the Act shall not apply to such class of industrial establishments as employ not more than such number of employees as may be specified in the notification.

(2321)

प्रतिबन्ध यह है कि यदि औद्योगिक अधिष्ठान के कारबार की आवश्यकता के कारण किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय छुट्टी के दिन काम करने की अपेक्षा की जाय और वह उस दिन काम करे तो नियोजक उस एक दिन की मजदूरी की दुगुनी मजदूरी देगा या, यदि कर्मचारी चाहे तो, वह उस एक दिन की मजदूरी तथा अगले कलेन्डर मास में उस दिन के बदले मजदूरी सहित एक छुट्टी, जो साप्ताहिक छुट्टी न हो, देगा ।

स्पष्टीकरण — जब कर्मचारी को दिन के हिसाब से या कार्यानुसार मजदूरी दी जाती हो तो इस धारा के अधीन उसे दी जाने वाली एक दिन की मजदूरी उसकी दैनिक औसत मजदूरी होगी, जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी ।

4— (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को, जैसा वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकती है ।

निरीक्षकों की  
नियुक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक इण्डियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) समझा जायगा ।

एक्ट संख्या 45,  
1860

5— राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक स्वयं या ऐसे सहायकों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे —

निरीक्षकों के  
अधिकार

(क) किसी स्थान में, जो औद्योगिक आस्थान हो, या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह स्थान औद्योगिक आस्थान है, हर उचित समय पर प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है ;

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान के किसी भी रजिस्टर, अभिलेख और नोटिस का परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकता है, जिनका साक्ष्य लेना वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे ; और

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों ।

6— इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ—दण्ड से दंड्य होगा, जो प्रथम अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक और प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये एक हजार रुपये तक हो सकता है ।

दण्ड

7— (1) इस अधिनियम को कोई बात ऐसे औद्योगिक आस्थान पर प्रवृत्त न होगी, जोकेन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया या कैंन्टोनमेन्ट अधिकारी के अथवा ऐसे रेल प्रशासन के, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (20) में यथापरिभाषित कोई रेलवे चलाता हो, नियंत्रणाधीन हो ।

छूट

(2) यदि राज्य सरकार किन्हीं विशिष्ट कारणों से ऐसा करना उचित समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दे सकती है कि ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह निर्दिष्ट करे, अधिनियम के उपबन्ध औद्योगिक अधिष्ठानों के ऐसे वर्ग पर प्रवृत्त न होंगे, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली संख्या से अधिक कर्मचारी नियोजित नहीं करते ।

(2322)

**Provisions of this Act to be in addition to Existing benefit.**

**8.** (1) The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the requirements of, any other law on the subject.

(2) Nothing contained in this Act shall affect any rights or privilege, which an employee is entitled to on the date on which this Act comes into force under any other law, contract, custom or usage.

**Power to make rules.**

**9.** (1) The State Government may, subject to their previous publication by notification in the Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive session and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make ; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.



(2323)

8- (1) इस अधिनियम के उपबन्ध, इस विषय की किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं को कम करने वाले न होकर उनके अतिरिक्त होंगे ।

इस अधिनियम के उपबन्ध विद्यमान लाम के अतिरिक्त होंगे

(2) इस अधिनियम में दी हुई किसी बात से ऐसे किन्हीं अधिकारों या विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, जिनका अधिकारी कोई कर्मचारी, किसी अन्य विधि, संविदा, रीति या प्रथा के अधीन, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक पर हो ।

9- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा निष्प्रभाजनों (Annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जिन्हें करने के लिए विधान मण्डल के दोनों सदन सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निष्प्रभाजन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।